पत्र संख्या–6/योजना–01–19/2016 गृ0आ0........................../

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

राधा नन्दन प्रसाद
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0)
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक दिसम्बर, 2016

विषयः– **राज्य के सभी 40 पुलिस जिलों एवं 4 रेल जिलों के 1056 थानों में (हाजतों एवं कार्यालय कक्षों सहित) CCTV कैमरा अधिष्ठापित करने हेतु ₹ 10000.00 लाख (एक सौ करोड़ रू0) मात्र विमुक्त करने की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि गृह विभाग के स्वीकृत्यादेश सं0–5716, दिनांक–28.07.2016 द्वारा राज्य के सभी 40 पुलिस जिलों एवं 4 रेल जिलों के 1056 थानों में (हाजतों एवं कार्यालय कक्षों सहित) CCTV कैमरा अधिष्ठापित करने हेतु कुल लागत राशि ₹ 282,26,44,061 (दो सौ बेरासी करोड़ छब्बीस लाख चौवालीस हजार एकसठ रू0) की प्रशासनिक स्वीकृति तथा कार्य प्रारंभ करने हेतु ₹ 500.00 लाख (पाँच करोड़ रू0) मात्र विमुक्त करने की स्वीकृति दी गयी थी। उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में ₹ 10000.00 लाख (एक सौ करोड़ रू0) मात्र विमुक्त करने की स्वीकृति दी जाती है।

2. उपर्युक्त विमुक्त राशि ₹ 10000.00 लाख (एक सौ करोड़ रू0) मात्र राज्य योजनान्तर्गत मांग संख्या–22 के बजट मुख्यशीर्ष–2055–पुलिस–उप मुख्यशीर्ष–00–लघु शीर्ष–115–पुलिस बल का आधुनिकीकरण–उपशीर्ष–0102–पुलिस प्रशासन एवं ढ़ाँचागत सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन हेतु–विषयशीर्ष–52 01–मशीने एवं उपस्कर विपत्र कोड–P2055001150102 राज्य योजना स्कीम कोड–HOM–5416 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में द्वितीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. उपर्युक्त राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

4. राशि की निकासी कर बेल्ट्रॉन के पी0एल0 खाते में जमा किया जायेगा तथा सी0सी0टी0भी0 अधिष्ठापित करने का कार्य बेल्ट्रॉन द्वारा किया जायेगा।

5. बिहार कोषागार संहिता 2011 में विहित विपत्र पर राशि की निकासी की जायेगी।

6. राशि निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यकतानुसार कागजातों को संलग्न किया जायेगा।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र का उल्लेख अवश्य करेंगे।

8. उपयोगिता प्रमाण–पत्र तीन माह के अन्तर्गत समर्पित किया जायेगा।

9. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जायेगा।

10. उपर्युक्त पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन
ह0/–

(राधा नन्दन प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप सं0 :–6/योजना–01–19/2016गृ0आ0........10168........./पटना, दिनांक 28 दिसम्बर, 2016

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/अपर पुलिस महानिदेशक (आधुनिकीकरण), बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन, बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक (प्रोविजन), बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राधा
27/12/16
सरकार के अवर सचिव